महिला सशक्तीकरण
हाल के सुधार

रेखा शर्मा | अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली। ईमेल: chairperson-ncw@nic.in

हिंसा का मुकाबला करना, बाल विवाह को समाप्त करना, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करना, भूमि अधिकारों की रक्षा करना और लिंग-उत्तरदायी गणन योजना लागू करना लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकारों, नागरिक समाज और व्यक्तियों को शामिल करके सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही हम महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी दुनिया बना सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर हाल ही में जारी की गई हैंडबुक लैंगिक-न्यायपूर्ण क़ानूनी व्यवस्था की दिशा में खोज को एक नई गति प्रदान करेगी।

समाज में महिलाओं की भूमिका की केंद्रीयता को देखते हुए, अब यह अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है कि एक पुरुष को सशक्त बनाने से एक व्यक्ति सशक्त होता है, लेकिन एक महिला को सशक्त बनाने से पूरी पीढ़ी सशक्त होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग हर स्तर पर लैंगिक असमानता की कहानी को बदलने और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है जहां हर किसी को बिना किसी पूर्वाग्रह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने का समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अवसर मिले। यह भारत सरकार की दूरदृष्टि और नीति के अनुरूप है। आयोग महिलाओं के लिए भारतीय संविधान के तहत उपलब्ध सभी कानूनी अधिकारों, प्रतिबद्धताओं, गारंटी और सुरक्षा उपायों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है।

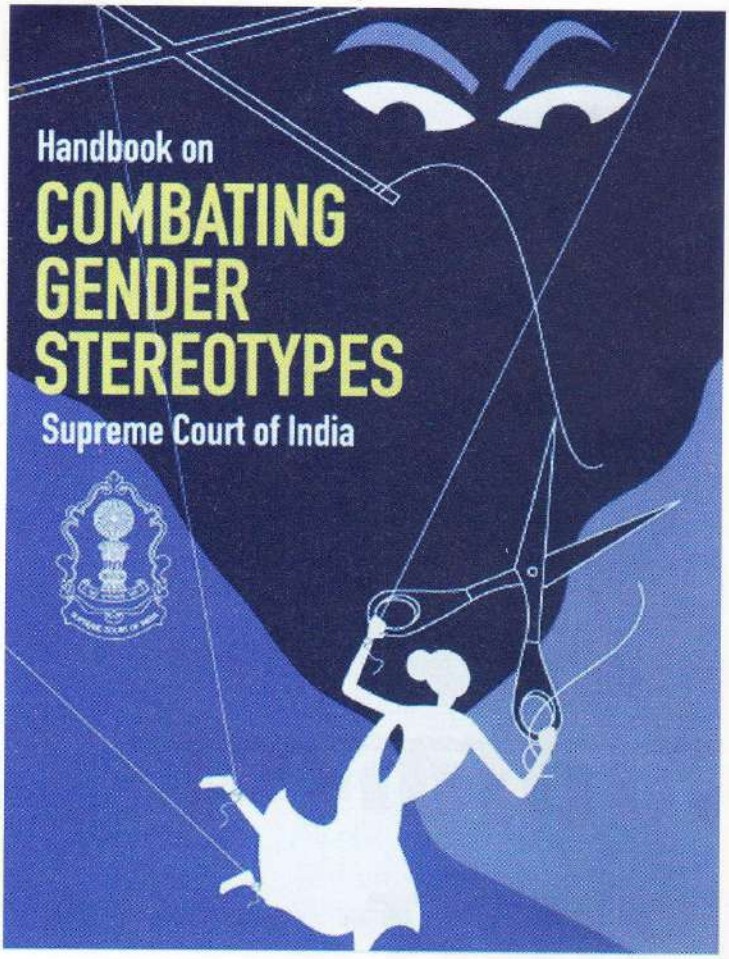

महिलाओं को समान हितधारकों के रूप में सशक्त बनाने, घरेलू और व्यावसायिक दुर्व्यवहार को संबोधित करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और इक्कीसवीं सदी में उनके प्रभाव को बढ़ावा देने पर समर्पित ध्यान के साथ, वर्तमान सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। कल्याणकारी और वित्तीय योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ नए कानूनों के संशोधन और अधिनियमन के माध्यम से, सरकार ने भारतीय महिलाओं को एक दुर्जेय शक्ति में बदलने के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। इस प्रतिबद्धता का उदाहरण दस कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के साथ-साथ तीन संशोधनों की शुरुआत और चार नए कानूनों के पारित होने से मिलता है, जिन्होंने महिलाओं की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है।

लैंगिक असमानता

महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा, भेदभाव और अवसरों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए लैंगिक समानता सुनिश्चित करना दुनिया भर में एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। प्रदान किए गए आंकड़े महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता हासिल करने के लिए सामाजिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। सरकारों और समाजों ने व्यापक कानूनी ढांचों, जागरुकता अभियानों को बढ़ाने और हादसों का सामना कर जीवित बचे लोगों के लिए सहायता सेवाओं के माध्यम से घरेलू हिंसा से निपटने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हेल्पलाइन, सुरक्षित घरों और परामर्शी कार्यक्रम जैसी पहल पीड़ितों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकती हैं और हिंसाचक्र को तोड़ने में मदद कर सकती हैं।

बाल विवाह को ख़त्म करना

बाल विवाह की निरंतरता लड़कियों से उनका बचपन, शिक्षा और भविष्य की संभावनाएं छीन लेती है। विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और कम उम्र में विवाह के हानिकारक परिणामों के बारे में जागरुकता बढ़ाने जैसे कानूनों को लागू करने और प्रवर्तन में लाने के प्रयासों पर ज़ोर देना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी, लक्षित हस्तक्षेप और आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम लड़कियों और उनके परिवारों को सूचित विकल्प चुनने और अंतर-पीढ़ीगत गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

राजनीतिक सशक्तीकरण

प्रगति के बावजूद, राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारों ने कोटा जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियां अपनाई हैं। राजनीतिक दलों को अधिक महिला उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करना, नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना

पिछले 10 वर्षों में भारत में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:

- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 (तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाना)
- बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019
- गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021
- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2020
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

राष्ट्रीय संसदों और स्थानीय सरकारों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

आर्थिक सशक्तीकरण

रोजगार में लैंगिक अंतर से निपटना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना अत्यावश्यक है। सरकारों और व्यवसायों को समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना चाहिए, मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल नीतियां स्थापित करनी चाहिए, और महिलाओं के लिए वित्त और उद्यमिता प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और रोज़गार की उन्नति में आने वाली बाधाओं को दूर करने से कार्यक्षेत्रों में अधिक लैंगिक समानता लाने में योगदान मिलेगा।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार

महिलाओं की स्वायत्तता और भलाई के लिए व्यापक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सरकारों को जहां कानूनी हो वहां व्यापक यौन शिक्षा, परिवार नियोजन सेवाओं और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को दूर करने से अनपेक्षित गर्भधारण में कमी आएगी और महिलाओं को अपने शरीर और भविष्य के बारे में जानकारीपूर्ण विकल्प चुनने में सशक्त बनाया जाएगा।

सरकारों और समाजों ने व्यापक कानूनी ढांचों, जागरुकता अभियानों को बढ़ाने और हादसों का सामना कर जीवित बचे लोगों के लिए सहायता सेवाओं के माध्यम से घरेलू हिंसा से निपटने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हेल्पलाइन, सुरक्षित घर और परामर्श कार्यक्रम जैसी पहल पीड़ितों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकती हैं और हिंसाचक्र को तोड़ने में मदद कर सकती हैं।

भूमि अधिकार

महिलाओं के भूमि स्वामित्व के अधिकारों की रक्षा करना उनके आर्थिक सशक्तीकरण और समग्र कल्याण के लिए मौलिक है। सरकारों को ऐसा कानून बनाना और लागू करना चाहिए जो भूमि, संपत्ति अधिकार और विरासत कानूनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करे। भूमि स्वामित्व प्रणालियों को मजबूत करना, कानूनी सहायता प्रदान करना और महिलाओं के भूमि स्वामित्व जागरुकता अभियानों को बढ़ावा देना लैंगिक समानता और गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक है।

लिंग आधारित बजट

लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए, देशों को लैंगिक समानता पहल के लिए सार्वजनिक आवंटन पर नज़र रखने के लिए व्यापक प्रणाली स्थापित

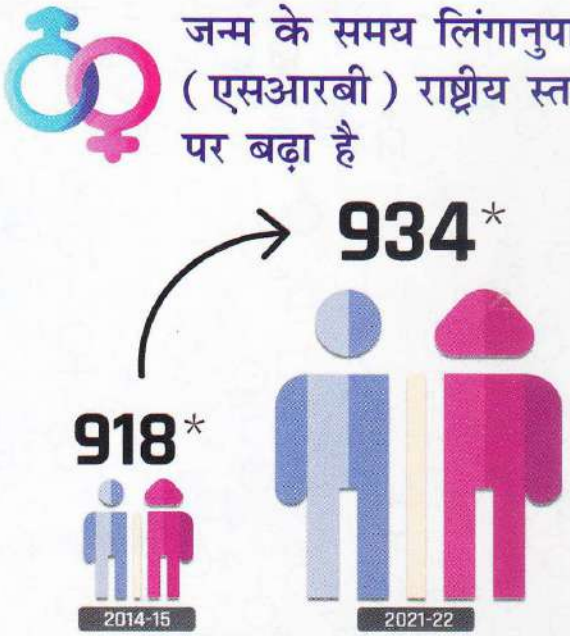

* प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या

करनी चाहिए। सरकारों को महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने चाहिए और इन निवेशों की प्रभावशीलता की निगरानी करनी चाहिए। पारदर्शी और जवाबदेह प्रणालियां लैंगिक समानता लक्ष्यों की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करेंगी।

प्रदान किए गए आंकड़े वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक सामाजिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। हिंसा का मुकाबला करना, बाल विवाह और महिला जननांग विकृति को समाप्त करना, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करना, भूमि अधिकारों की रक्षा करना और लिंग-उत्तरदायी गणना लागू करना लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकारों, नागरिक समाज और व्यक्तियों को शामिल करके सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही हम महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी दुनिया बना सकते हैं।

1. **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ:** 2015 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य गिरते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना और लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है।
2. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):** 2017 में शुरू की गई, यह मातृत्व लाभ योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
3. **महिला ई-हाट:** यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों और कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने की सुविधा के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था। यह महिलाओं को व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल बाज़ार प्रदान करता है।
4. **उज्ज्वला योजना:** 2016 में शुरू की गई यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, आंतरिक या घरेलू वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच को सक्षम करके उन्हें सशक्त बनाना है।
5. **स्टैंड अप इंडिया:** 2016 में शुरू की गई यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करता है।

6. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि 2015 में शुरू की गई इस कौशल विकास योजना का उद्देश्य रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल-विकास पाठ्यक्रमों की पेशकश करके कई महिलाओं को लाभान्वित किया है। महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य देखभाल, उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पिछले दशक में लागू की गई सरकारी योजनाओं के ये कुछ उदाहरण हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर कई अन्य योजनाएं हैं जो महिलाओं के कल्याण, शिक्षा और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित हैं।

ये केवल पिछले दशक में लागू किए गए सुधारों के कुछ उदाहरण हैं। पिछले 10 वर्षों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कानून, सामाजिक कार्यक्रमों और जागरुकता अभियानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किए गए हैं:

1. **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर्भया अधिनियम):** यह संशोधन 2013 में पारित किया गया था, जिससे यौन अपराधों से संबंधित कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण संबंधित पहलों का समर्थन करने के लिए निर्भया फंड की स्थापना की। इस फंड का उपयोग वन-स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन स्थापित करने और महिला सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया गया है।
2. **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** यह संशोधन 2017 में लागू किया गया था, जिससे संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई। यह सुधार मातृ स्वास्थ्य और बच्चे के साथ जुड़ाव के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के महत्व को दर्शाता है।
3. **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019:** यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करते हुए यह संशोधन 2019 में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने भारत में मुस्लिम पुरुषों के तत्काल तीन तलाक (तलाक) की प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। इस सुधार का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और व्यक्तिगत कानूनों के भीतर लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है।
4. **मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण)** अधिनियम, 2019, हालांकि समग्र रूप से महिलाओं के लिए विशिष्ट नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को तत्काल तीन तलाक (तलाक) के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पिछले 10 वर्षों के भीतर पारित एक महत्वपूर्ण संशोधन था।
5. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)** अधिनियम, 2013: यह अधिनियम यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थलों में आंतरिक समितियों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।

इन सुधारों ने भारत में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और प्रणालीगत असमानताओं को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करना जारी रखना महत्वपूर्ण है जो जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरह से कायम रखे और उनका सम्मान करे। ❑